न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी मसूदा अजमेर

राजस्व अपिल सख्या 04/2014

श्रीमति नैनी पत्नि श्री सायर जाति मेहरात, निवासी कानाखेडा, तहसील–मसूदा, जिला– अजमेर।

.....अपीलेन्टस/प्रार्थी

बनाम

1. श्री हासम पुत्र श्री पीरू कौम मेरात निवासी कानाखेडा तह मसूदा जिला अजमेर
2. राजस्थान सरकार जरीये भू–धारक तहसीलदार, तहसील–मसूदा जिला, अजमेर।
3. सरपंच, ग्राम पंचायत कानाखेडा पंचायत समिति, मसूदा जिला अजमेर ।

.....रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थीगण

अपील ज्ञापन अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध प्रस्ताव संख्या 1 पर बिना अपीलेन्ट को सुने उसके पक्ष में जो नामान्तरण संख्या 1310 दिनांक 02/04/2014 खोला गया था, उसके रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने बिना सुने ही खारीज कर दिया, जिसके विरूद्ध म्यादः–

उक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा प्रस्ताव पारित कर नामान्तकरण संख्या 1310 दिनांक 02/04/2014 को खारीज किया, जिसकी जानीकारी अपीलार्थी को दिनांक 19/08/2014 होने पर नामान्तरण की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की जससे अपीलेन्ट को जानकारी हुई और जानकारी से अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत है।

अपील का मुल्यांकन किया जाकर, अपील पर निश्चित न्यायशुल्क 2 रूपये आदा किया जा रहा है ।

निर्णय

दिनांक 24.08.2016

अपिलार्थिया द्वारा विलम्ब मुक्ति हेतु इस अपील मीमो के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रा. पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसने प्रत्यर्थी संख्या 1 से आराजी ख.नं. 2216 व 2217 कुल किता 2 रकबा 3–08–10 बीघा में से उसका 1/3 हिस्सा व 2203/1 में उसके 1/4 हिस्से को दिनांक 23.07.2014 की जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद कर उनमें अपिलार्थिया के नाम ना.क. दर्ज कर तहसीलदार, मसूदा से प्रा. पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया जिस पर ना.क.स. 1310 भरा गया । अपिलार्थीया अपनढ़ ग्रामीण महिला है वह इस आवेदन पर अपने नाम ना.क. हो जाना मानते हुए जानकारी नहीं ली । जानकारी प्राप्त होने पर इसकी प्रति दिनांक 19.08.2014 को प्राप्त की तो मालुम हुआ कि प्रार्थिया को सुने बिना प्रत्यर्थी सं0 3 ने अपिलार्थिया के पक्ष में भरे गये ना.क. को उसे सुने बिना खारिज कर दिया

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

गया है । इस कारण जानकारी दिवस से अपील अन्दर मयाद होने के बावजूद कानूनी पेचिदगीयों को ध्यान में रखते हुए यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत के देरी के लिए क्षमा चाहती है । प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अपिलार्थिया अभिलेख पर ली जावे ।

प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई जवाब प्रा. पत्र पेश नहीं हुआ वकील प्रार्थी को सुना गया । अपिलार्थिया की ओर से अपील पेश करने में उसके अनपढ़ एवं विधिक प्रकिया से अनजान होने के कारण अपील देरी के लिए अपिलार्थिया का कृत्य क्षमा योग्य पाया जाता है । अतः पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपिलार्थिया को अभिलेख पर किए जाने के आदेश पारित किये जाते है ।

अपिलार्थियां ने अपने इस अपील मीमों में सारांशतः निवेदन किया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपनी खुदकाश्त से खातेदारी की आराजी संख्या 2216 रकबा 3–03–10 व 2217 रकबा 03 बिस्वा कुल रकबा 03–08–10 में से अपना 1/3 हिस्सा तथा 2203/1 रकबा 02 बीघा में से 1/4 हिस्सा अपिलार्थिया को दिनांक 23.07.2014 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दिया था । जिसके ना.क. हेतु अपिलार्थिया ने तहसीलदार, मसूदा के समक्ष आवेदन किया पटवारी हल्का ने अपिलार्थिया के पक्ष में ना.क. दर्ज कर दिया लेकिन प्रत्यर्थी सं. 3 ने अपिलार्थिया को सुने बिना रंजिशवश शंकर व सुभान के एतराज पर खारिज कर दिया है जबकि अपिलार्थिया द्वारा ख.नं. 2203/1 के 1/4 हिस्से से इसमें खातेदारान सर्व श्री अजमाल, सायर, मु. मदीना, मैना, रमजानी व सुगरी से दिनांक 15.05.2014 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद किया था उसका ना0क0 1320 दिनांक 21.07.2014 को प्रत्यर्थी सं0 3 ने स्वीकार किया है जिसका अमल भी राजस्व अभिलेख में कर दिया गया है । इस प्रकार प्रत्यर्थी सं. 3 ने जानबुझ कर अपिलार्थीया को बिना सुने उसके हक में भरे गये ना.क. को खारिज कर देने से अपील प्रस्तुत की जा रही है अतः अपील स्वीकार कर अपिलार्थिया के पक्ष में उसके द्वारा खरीद शुदा उक्त आराजी का ना.क. करवाने के निर्देश तहसीलदार महोदय, मसूदा पर जारी किये जावें ।

प्रत्यर्थी सं. 2 ने अपने जवाब अपील में निवेदन किया है कि प्रकरण में राज्यहित प्रभावित नहीं होते अतः उसके जवाब की आवश्यकता नहीं है पक्षकारान अपनी–अपनी दावेदारी सिद्ध करे । प्रत्यर्थी सं0 1 व 3 बावजूद तामीली नोटिस अनुपस्थित रहे है । अतः कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है ।

बहस विद्वान अभिभाषक अपिलार्थी सुनी गई । उनके तर्क रहे कि एक और प्रत्यर्थी संख्या 3 ने उसके द्वारा खरीदी गई आराजी दिनांक 15.05.2014 को 2203/1 के 1/4 हिस्से की आराजी का ना.क. सं. 1320 स्वीकार कर दिया है वही इसी आराजी का 1/4 अन्य हिस्सेदार हासमा से खरीदने पर उसका ना.क. खारिज कर दिया है यह प्रत्यर्थी सं. 3 की दुर्भावना रही है अतः अपील अपिलार्थिया स्वीकार कराते हुए प्रत्यर्थी सं. 3 द्वारा ना.क.सं. 1310 पर पारित आदेश अपास्त करने के आदेश पारित कराने की कृपा करावें तथा प्रत्यर्थी सं0 2 को अपिलार्थिया के पक्ष में पुनः ना.क. दर्ज कर उसका नाम प्रश्नगत आराजी में लगवाया जावे ।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया । अधिनस्थ न्यायालय की कार्यवाही दिनांक 21.06.2014 में अपिलार्थिया के पक्ष में दर्ज ना.क.सं. 1310 बाबत् यह अंकित किया गया है कि करीम व शंकर पिता समरा ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जरिये प्रा. पत्र अवगत कराया कि विक्रेता हासम द्वारा हमारी सहखातेदारी की भूमि को बेचान किया है जो अविभाजित भूमियां है जिनको लेकर पूर्व में विवाद है और आगे भी विवाद बढ़ेगें इसलिए यह ना.क. खारिज किया जावे ।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

प्रकरण में मनन करने पर पाया कि अप्रार्थिया ने विक्रेता हासम के हिस्से की भूमि खरीदी है जिसमें शिकायतकर्ता के कोई अधिकार नहीं थे । वहीं अधिनस्थ न्यायालय एक ही पक्ष को सुना अपिलार्थी पक्ष को नहीं सुना । यही अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने में भूल की है । अतः अपील अपिलार्थिया स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है तथा ना.क.सं. 1310 पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.06.2014 को प्रस्ताव सं. 1 से पारित निर्णय को खारिज किया जाता है और तहसीलदार, मसूदा को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपिलार्थिया के पक्ष प्रश्नगत भूमि बाबत् नामान्तकरण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें ।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2016 को न्यायालय हाजा पर सुनाया गया ।

(सुरेश चावला)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मसूदा अजमेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट मसूदा अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.25 15:25:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: